Volume: 5 **Issue: 1** **Pages: 142-143**

महिलाओं की सामाजिक स्थिति (आदिवासी महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में)

*[1] **डॉ. रश्मि सोनी**

*[1] शिक्षिका, प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 25/Dec/2025
Accepted: 25/Jan/2026

***Corresponding Author**
डॉ. रश्मि सोनी
शिक्षिका, प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश

भारतीय महिलाएं किसी न किसी रूप में प्रति सेकेंड शोषण का शिकार हो रही है। आज भी उच्च वर्गो के समाज में विधवाओं का पुनः विवाह नहीं किया जाता। दहेज के नाम पर न जाने कितनी महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, कितनी छोटी बच्चीयों एवं महिलाओं की इज्जत खराब कर दी जाती है। चेहरे पर तेजाब छिड़कना दिनदहाड़े अपहरण कर लेना जैसे हैवानियत कार्य वर्तमान भारत की हि नहीं यह वैश्विक स्तर की निंदनीय समस्या है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति एवं पुत्र के संरक्षण में जीवन बिताती है। परन्तु कुछ हद तक आदिवासी समाज में महिलाएं शोषण का शिकार नहीं होती। परन्तु बाहरी परिवेश का अत्याचार हमेंशा से आदिवासी स्त्रियों पर होता आ रहा है।

मुख्य शब्द: अबुझमाड़ियां, जनजाति, आधारभूत, परम्परागत, अनुसूची, माओवादी, दिनदहाड़े।

प्रस्तावना:

भारत की समग्र आबादी का आठवां हिस्सा आदिवासी है। आदिवासी महिलाओं की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिवेश में महत्व अधिक है। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है। शहर की शिक्षित महिला हो या जंगलों में निवास करने वाली आदिवासी महिला पुरूष की सोच में कोई फर्क नहीं है। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृश्टि से महिलाएं अभी भी पुरूषों से काफी पीछे हैं। आज भी महिलाएं कमजोर वर्ग में शामिल है तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृश्टि से पीछड़े हुए है। आदिवासी समाज में आज भी मातृसत्ता पाई जाती है। जैसे उरांव जनजाति में बच्चे का गोत्र माता के नाम से होना पिता के संपत्ति पर बेटियों का अधिकार होना कोई नई बात नहीं हैं, यह उनकी सदियों पुरानी परम्परा है। जनजातियों को भारत देश के प्राचिनतम निवासी माना जाता है, यह किसी भी देश के मूल निवासी होते हैं, जो प्राचीनकाल से ग्रामीण तथा शहरी सभ्सता से कोसों दूर सघन वनों में निवास करते आ रहें है। जंगल, जमीन, तथा नदियां हमेशा से इनके जीवन यापन के साधन रहे हैं। आज भी जंगलों में निवास करने वाले जनजातीयों का जीविकोपार्जन इन्ही संसाधनों के माध्यम से पूरी होती है। भारतीय समाज में आदिवासीयों को प्रायः जनजातिय लोग के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ, गुजरात, आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं झारखड़ के राज्यों में पाया जाता है। भारत के आजादी के उपरांत इन आदिवासी जनजातियों को भारतीय संविधान के अंर्तगत संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है तथा संविधान के अंर्तगत अनेक समान अधिकार प्रदान किए गए है।

जिला बस्तर प्राकृतिक सौंर्दय का धनी माना जाता है यह जिला घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, गुफाओं, झरनों व वन्य प्राणियों से आच्छादित है। जनजातीय महिलाओं की भारतीय समाज में पुरूषों के समक्ष समान स्थिति है। यहां की आदिवासी महिलाएं सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन यापन करती है। इनकी वेशभूषा रहन-सहन, खान-पान शादी ब्याह की रिति-रिवाज श्रृंगार आदि रोचक है।

छत्तीसगढ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां 42 आधारभ्ूात विभ्न्नि प्रकार की जनजातियां प्राचीन समय से जंगलों में निवासरत है। बस्तर, छत्तीसगढ प्रदेश का एक जिला है, जो दक्षिण में स्थित है बस्तर जिला 7 विकासखंड बस्तर, जगदलपुर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, बास्तानार व दरभा में विभाजित है। 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 834375 है, जिसमें 70 प्रतिशत जनजातिय समुदाय के लोग निवासरत है। यहां मुख्य रूप से गोंड़, हल्बा, भतरा, मारिया, मुरिया, धुरूवा जनजातिय है।

सामाजिक स्थिति

1. **शादी ब्याह:-** भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को विवाह के लिए जबरन मजबूर किया जाता है। उनकी नापसंद के बाद भी उन्हें समझौता करनी पड़ती है। परन्तु बस्तर महिलाओं की वैवाहिक स्वतंत्रता अन्य समाज की परम्पराओं से अलग है। इस समाज में युवती के लिए विवाह योग्य युवक को युवती के घर में रहकर काम-काज में मदद करके युवक को उसकी योग्यता सिद्व करनी पड़ती है। इस दौरान युवती को युवक पसंद न आने पर विवाह से मना कर सकती है। युवती का विवाह होने के पश्चात पति-पत्नी में अनबन होने पर आसानी से दोनों अलग भी हो जाते है तालाक की जरूरत नहीं पड़ती।
2. **खेतों में काम करना:-** यह आदिवासी महिलाएं न सिर्फ घर का काम करती है बल्कि खेतों खलिहानों में पुरूषों के साथ कधों में कधां मिलाकर काम करती है। खेतों में हल चलाना, निदाई बुवाई के साथ उसे बाजार में बेचने के साथ ही चुल्हा जलाने के लिए जंगलों से लकड़ी लाना, बाड़ी में सब्जियां लगना, जंगली जानवरों से जान को जोखिम में रखकर खाने-पीने की वस्तुओं की व्यवस्था करना आदि कार्य करती है।
3. **वेशभूषा:-** वस्त्र में महिलाएं पाता (साड़ी) पहनते है और पुरूष अंगोछा (गमछा) पहनते है। कंघी को प्रेम प्रतिक के रूप में जाना जाता है। गोदना दनके श्रृंगार का प्रमुख हिस्सा है,

बस्तर महिलाओं के सामाजिक पिछड़ेपन के कारण

1. **नशा प्रवृति:-** बचपन से ही महिला व बच्चे नशे के शिकार होते है। आदिवासी समाज में कोसना (चावल के द्वारा बनाया गया मादक पदार्थ) ताड़ी (ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है) एवं महुआ रस (महुएं के फल से बनाया गया मादक पदार्थ) का सेवन बचपन से किया जाता है। बस्तर के बाजार हाट में महिलाओं व पुरूषों द्वारा इसे बेचते हुए देखा जा सकता है।
2. **सड़क मार्ग की कमी:-** किसी भी देश या राज्य का विकास तभी संभव है जब यातायात के लिए उचित सड़क मार्ग उपलब्ध हो।
3. **सामाजिक संगठन की कमी:-** आदिवासी महिलाओं में अन्य महिलाओं की तुलना में सामाजिक संगठन बनाने की कमी पाई जाती है।
4. **अशिक्षा:-** वैसे तो बस्तर महिलाएं घर व बाहर के कार्य करने में पुरूषों के समक्ष बराबर समानता रखती है। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई है। जिसका प्रमुख कारण है गरीबी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र। बाहरी वातावरण से अलग जंगलों में निवास करना तथा स्कूल तक जाने वाली सड़क सुविधा न होना एवं मुख्यधारा से न जुड़ पाना शिक्षा तक न पहुंचने का कारण है।
5. **माओवादी हस्तक्षेप:-** बस्तर माओवादी क्षेत्र है यह दुनिया जानती है। जहां माओंवाद का जन्म अधिकार मांगने और शोषण के विरूद्ध हुआ था वहीं माओवाद अब खुद शोषण कर रहा है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने नहीं दिया जाना, बहला फुसलाकर अपने साथ सामिल कर लेना तथा इंकार करने पर बेरहमी से हत्या कर देना आज के माओवादी का उसूल है। स्कूल, कॉलेज भवन निर्माण, अस्पताल, रेलवें, सड़क आदि विकास कार्य एवं मुखधरा से जोड़ने के लिए करोंड़ो रूपयों का अनुदान दिया जाता है परन्तु माओवादी हस्तक्षेप के कारण वहां किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो पाता। जिसके कारण महिलाएं जंगली जानवरों के बीच घने जंगलों में जाने के लिए मजबूर है।
6. **संचार साधनों की कमी:-** घने जंगलों में संचार साधन की अनुपलब्धता भी सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है।
7. **शिक्षा की गुणवत्ता में कमी:-** बस्तर नक्सल क्षेत्र होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष:

1. आदिवासी महिलाओं का शोषण:- नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ के आदिवासी आदिवासियों पर लगातार अत्याचार के मामलें बढ़ते जा रहें है। रिकार्ड के अनुसार 2014 में आदिवासी अत्याचार के 721 मामलें दर्ज किये गये। वहीं बस्तर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण के बढ़ते मामलें जिनकी चीखे सरकार तक कभी पहुच ही नहीं पाती।
2. बस्तर आदिवासी महिलाएं क्षमता अनुसार राजनीति में सहभागिता निभा रही है। यदि इनको प्रोत्साहित करते हुए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो ये सत प्रतिशत राजनीति में सहभागी होंगी।
3. प्रकृति से घनिष्टता होने के कारण ये वन्य जीव जन्तु की आवाज समझते है।
4. आदिवासी समूह को घरेलू स्तर पर पांच लीटर मादक पदार्थ रखने की सरकार द्वारा दी गई छूट से आदिवासी बच्चो का जीवन नशे से ग्रस्त है।अतः आदिवासीयों के विकास हेतु मादक पदार्थ नियंत्रण होना चाहिए।
5. शिक्षा की गुणवत्ता बस्तर क्षेत्र में निम्न स्तर पर है, माओंवादी क्षेत्र होने के कारण शिक्षकों द्वारा स्कूल को समय से पहले बंद कर दिया जाता है। अतः वहां के क्षेत्रिय व्यतियों को शिक्षा के प्रति जागरूक होना तथा माओंवादी पर सरकार द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची:

1. नीरज कृष्ण 23 जुलाई 2023 भारतीय समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति पृष्ठ 44.
2. जागरण ई. पेपर 26 फरवरी 2016 आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति।
3. ममता देवी मीणा, आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति पृष्ठ 62.
4. डॉ. राम समुझ सिंह, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याएं एक समाज शास्त्रीय अध्ययन पृष्ठ 63
5. नीरज कृष्ण 23 जुलाई 2023 भारतीय समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति पृष्ठ 44.
6. आशिष कुमार गुप्ता, समाचार पत्र नईदुनिया 14 सितम्बर 2023 बस्तर संभाग में महिला विधायक।
7. केदार प्रसाद मीणा, आदिवासी समाज और राजनीति
8. bastar.govt.in
9. नई दुनियां 6 नवंबर 2023 छत्तीसगढ की प्रमुख जनजातियां।
10. hi.m.wikipedia.org-